निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आषाढ़ 1943 (श0)

(सं0 पटना 539) पटना, शुक्रवार, 25 जून 2021

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

15 जून 2021

सं०–16/एम.1–03/2008–540(आ०चि०)—भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ^^fcgkj ftyk vk;q"k fpfdRlk@jkT; vk;q"k fpfdRlk lsok ¼fu;fer@vuqca/k dk vk/kkj ij fu;qfDr ,oa lsok'krZ½ fu;ekoyh 2010^^ ¼le;≤ ij ;Fkk la'kksf/kr½ का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।–

   (i) यह नियमावली ^^fcgkj ftyk vk;q"k fpfdRlk@jkT; vk;q"k fpfdRlk lsok ¼fu;fer@vuqca/k dk vk/kkj ij fu;qfDr ,oa lsok'krZ½ ¼la'kks/ku½ fu;ekoyh] 2021^^ कही जा सकेगी।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी तथा बिहार राजपत्र में प्रकाशन किया जायेगा।

   ''बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली–2010'' के नियम–3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   सेवा का गठन ।– राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग।

2. उक्त नियमावली–2010 के अध्याय–2 में अंकित ^^जिला आयुष चिकित्सा संवर्ग** को विलोपित किया जाता है एवं नियम–4(क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   स्वास्थ्य के संस्थानों/केन्द्रों में आयुष चिकित्सक के सृजित सभी पद एवं आयुष के संस्थानों में आयुष चिकित्सक के सृजित सभी पद राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग के पद माने जायेंगे।

3. उक्त नियमावली–2010 के नियम–6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

   सभी पद राज्य आयुष चिकित्सा सम्वर्ग के पद माने जायेंगे।

4. उक्त नियमावली–2010 के नियम–7 को विलोपित किया जाता है।

5. उक्त नियमावली–2010 के अध्याय–3 के अन्तिम अंश ''क्रमांक–(V) में उल्लिखित पद पर चयन क्रमांक– (iv) में उल्लिखित पद में से वरीयता के आधार पर होगा'' को विलोपित किया जाता है।

6. उक्त नियमावली–2010 के नियम–10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर पूर्व से कार्यरत नियमित नियुक्त (अनुबंध को छोड़कर) आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथिक) चिकित्सा पदाधिकारी इस सेवा में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

7. उक्त नियमावली–2010 के नियम–15 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग की सेवा शर्त्त निर्धारित करने के उद्देश्य से बनी नियमावली में जो भी संशोधन होगा वह आयुष प्रक्षेत्र में भी स्वतः लागू माना जायेगा।

8. उक्त नियमावली–2010 के अनुसूची–1 के अन्तिम अंश को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

ukV %&राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग के चिकित्सकों को सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतन अनुमान्य होगा।

9. ^^बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली–2017^^ के नियम–2(iii) के स्पष्टीकरण–(ख) एवं नियम–2(iii)(3) को विलोपित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
vjfoUn flag]
ljdkj ds fo'ks"k lfpoA

---

15 जून 2021

सं० 16/एम.1–03/2008–.541(आ०चि०)/अधिसूचना संख्या. 540, दिनांक 15 जून 2021 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
vjfoUn flag]
ljdkj ds fo'ks"k lfpoA

The 15th June 2021

No. 16/M1-03/2008 – 540(Aa.Chi.)—In exercise of Powers conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar, is hereby pleased to make the following rules to amend **"Bihar District Ayush Medical/ State Ayush Medical Service(Appointment on Regular/Contract basis and Service Conditions) Rules 2010"** (as amended time to time).

1. ***Short title, extent and commencement :—***

(i) These Rules may be called as the**" Bihar District Ayush Medical/ State Ayush Medical Service (Appointment on Regular/Contract basis and Service Conditions) (Amendment) Rules 2021".**

(ii) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(iii) It shall come into force from the date of issue of the notification and it will be published in Bihar Gazette.

2. *Rule-3 of the Bihar District Ayush Medical/ State Ayush Medical Service (Appointment on Regular/Contract basis and Service Conditions) Rules 2010 shall be substituted by the following:*

Constitution of Cadre-State Ayush Medical Cadre.

3. The ''District Ayush Cadre'' as mentioned in Chapter-2 of the said Rules-2010 is repealed and Rule-4(A) is substituted by the following.

All the posts created for AYUSH doctors in health institutions/ centers and all posts created for AYUSH doctors in AYUSH institutions will be treated under State AYUSH Medical Cadre posts.

4. Rule-6 of the said Rules-2010 is substituted by the following:-

All posts will be treated under State AYUSH Medical Cadre posts.

5. Rule-7 of the said Rules-2010 is repealed**.**

6. In the last portion of Chapter-3 of the said Rules 2010**, "Selection to the post mentioned in serial number (V) will be on the basis of seniority from the post mentioned in serial number (IV)"** is repealed.

7. *Rule-10 of the said Rules-2010 is substituted by the following:-*

After coming into force of these rules, regularly appointed AYUSH (Ayurveda, Unani and Homeopathic) already working Medical Officers (except contract) will be deemed to be automatically included in this service.

8. *Rule-15 of the said Rules-2010 is substituted by the following:-*

Whichever amendments shall be in the Rules made for the purpose of determining the service condition of the Bihar Health Service Cadre shall be deemed to be applicable to the Ayush Sector Automatically.

9. *The last portion of Schedule-1of the said Rules-2010 is substituted by the following:-*

Note—Doctors of State Ayush Medical Cadre shall get fixed pay as determined by the Government from time to time.

10. Explanation (B) of Rule 2(iii) and Rule 2(iii) (3) of Bihar District Ayush Medical/ State Ayush Medical Service (Appointment on Regular./ Contract basis and service conditions) Amendment Rules, 2017 is repealed.

By the order of the Governor of Bihar,
ARVINDER SINGH,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 539-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in